

परियोजना का नाम:- चमियाला पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.359 हे० आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना ।

प्रारूप - 24

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 21 न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वृक्षों का पातन किया जायेगा।


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा
जल निगम, घनसाली, टि० गढ़०।
Uttarakhand Payal Sansadham Vikas
Evam Nirman Nigam, Ghansali (I.C)


प्रभागीय वनाधिकारी
नई टिहरी वनप्रभाग,
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा चमियाला
चमियाला, टि० गढ़०